कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 132/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट

थाना– कोतवाली, जनपद– आजमगढ़

□फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने वाला वांछित अभियुक्त पुलिस हिरासत में
□पुलिस टीम द्वारा बवाली मोड़ से हिरासत में लिया गया
□पासपोर्ट अधिनियम व बीएनएस की धाराओं में विधिक कार्यवाही

आजमगढ़। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा फर्जी नाम-पता व परिवर्तित व्यक्तिगत विवरण के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने के मामले में वांछित अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡ □अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद आबिद पुत्र सैय्यद अहमद निवासी आसिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रथम पासपोर्ट वर्ष 2004 में अपने वास्तविक विवरण के आधार पर बनवाया गया।

➡ □इसके उपरांत अभियुक्त द्वारा अपना नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि परिवर्तित कर फर्जी विवरण दर्शाते हुए वर्ष 2016 में जनपद अम्बेडकरनगर से दूसरा पासपोर्ट बनवाया गया।

➡ □इस संबंध में म0उ0नि0 प्रियंका तिवारी चौकी प्रभारी एलवल की तहरीर पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 124/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी।

➡ □विवेचना के दौरान शैक्षिक प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों के परीक्षण से अभियुक्त द्वारा दो अलग-अलग नाम-पते से पासपोर्ट बनवाने की पुष्टि हुई।

गिरफ्तारी/हिरासत का विवरण–

➡ □दिनांक 02.04.2026 को म0उ0नि0 शशि सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद आबिद को बवाली मोड़ से समय लगभग 10:05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ □अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

□मु0अ0सं0 124/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

अभियुक्त–

□सैय्यद मोहम्मद आबिद पुत्र सैय्यद अहमद निवासी आसिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, हाल पता ग्राम मियांपुर पोस्ट बिडहर थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 44 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

□म0उ0नि0 शशि सिंह

□का0 अरुण यादव थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना– तरवां, जनपद– आजमगढ़

गैर इरादतन हत्या करने वाला अभियुक्त पुलिस हिरासत में, 01 बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में
पुलिस टीम द्वारा चतुरगंज बाजार से कार्रवाई
बीएनएस की धाराओं में विधिक कार्यवाही प्रचलित

आजमगढ़। थाना तरवां पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡ दिनांक 10.03.2026 को थाना तरवां क्षेत्र की एक महिला द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.03.2026 को उसका पुत्र शौच कर वापस घर आते समय गांव के ही काशी राजभर व अन्य व्यक्तियों द्वारा लाठी-डंडे व लात-घूंसों से मारपीट कर घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

➡ इस संबंध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान दिनांक 01.04.2026 को बीएचयू वाराणसी में पीड़ित की मृत्यु हो गयी, जिसके उपरांत मुकदमे में धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

➡ विवेचना के दौरान अभियुक्त शिवानन्द पुत्र जगतनारायण सहित अन्य के नाम प्रकाश में आये।
गिरफ्तारी का विवरण–

➡ दिनांक 01.04.2026 को उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल मय हमराह द्वारा अभियुक्त शिवानन्द पुत्र जगतनारायण निवासी ग्राम मुरारपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को चतुरगंज बाजार से समय लगभग 06:45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ साथ ही 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 46/2026 धारा 105/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़
अभियुक्त–
शिवानन्द पुत्र जगतनारायण निवासी ग्राम मुरारपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष
01 बाल अपचारी
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल, का0 प्रवीण यादव, का0 अजय यादव थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना– अहरौला, जनपद– आजमगढ़
नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में
पुलिस की सक्रियता से मड़ना तिराहा से पकड़ा गया
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में की जा रही विधिक कार्यवाही
आजमगढ़। थाना अहरौला पुलिस द्वारा नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡ दिनांक 30.03.2026 को थाना अहरौला क्षेत्र की एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके 07 वर्षीय पुत्र को विपक्षी द्वारा बहला-फुसलाकर चाट, चाउमीन आदि खिलाकर तथा मोबाइल पर कार्टून/गेम दिखाकर गांव के जंगल में ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया तथा विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी।

➡ प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 81/2026 धारा 351(3)/352 बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विश्राम गुप्ता द्वारा की जा रही थी, जिसमें बाल अपचारी वांछित चल रहा था।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण–

➡ दिनांक 02.04.2026 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मड़ना तिराहा से समय लगभग 13:50 बजे बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रेस नोट

थाना– मेंहनगर, जनपद– आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस टीम द्वारा देवरिया मोड़ से गिरफ्तारी

पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त विधिक कार्यवाही

आजमगढ़। थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡ दिनांक 31.03.2026 को थाना मेंहनगर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 13 वर्ष) के साथ विपक्षी श्रीकान्त यादव पुत्र करिया यादव निवासी देवरिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 15.03.2026 को गलत नियत से शारीरिक छेड़खानी की गयी।

➡ इस संबंध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 75 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में घटोत्तरी करते हुए धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण–

➡ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत दिनांक 02.04.2026 को उ0नि0 आदिल खान मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त श्रीकान्त यादव को समय लगभग 10:55 बजे देवरिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

➡ गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 102/26 धारा 75 बीएनएस व 9/10 पॉक्सो एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त–

श्रीकान्त यादव पुत्र करिया यादव निवासी देवरिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0 23/2015 धारा 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम (आरोप पत्र प्रेषित)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 आदिल खान

हे0का0 शिवपूजन

का0 अजय राय

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़